

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के लिए अस्थाई अनुज्ञा का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

(91)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

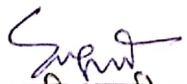
1	परियोजना विवरण :-	
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	: लोहारा -- रेंगाडबरी - जुन्नापानी -चौकी मार्ग सड़क निर्माण हेतु आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक छ.ग.सड़क विकास निगम लि. रायपुर के अन्तर्गत चौड़ीकरण/उन्नयनीयकरणहेतु प्रस्तावित है जो कि, आदिवासी बहुल क्षेत्र में बसे आदिवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा, अतिसंवेदनशील क्षेत्र।
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाले मैप।	: संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	: परियोजना की लागत लगभग 11924.928 रु. (लाख में) है उपरोक्त वर्णित वन भूमि में मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि प्रस्तावित है।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	: आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक सड़क विकास निगम लि. रायपुर द्वारा बालोद वनमंडल के लोहारा परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी.एफ. 312,313,307173 आर.एफ. 173,194,193,191 रकबा 5.530 हे0 1. यह एक बहुत अच्छा सुविधाजनक भूमि है जो कि तकनीकी एवं कम से कम वनभूमि का उपयोग को ध्यान में रखकर किया गया। 2. वन क्षेत्र प्रत्यावर्तित होने से शेष वनभूमि पर किसी भी प्रकार का भू-क्षरण संबंधी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रस्तावित भूमि समतल है तथा इस परियोजना में गहरी खुदाई कार्य नहीं किया जाना है। इस बाबत आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। 3. कम से कम संख्या में वृक्ष प्रभावित हो रहा है। 4. जिला मुख्यालय से 32 कि.मी. दूरी पर स्थित है। 5. राजस्व भूमि कम उपलब्ध होने के कारण कक्ष क्रमांक पी. एफ. 312,313,307, आर. एफ. 173,194,193,191 रकबा 5.53 हे. को उपयुक्त होने के कारण चयनित किया गया है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण	: संलग्न है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	: 12000 मानव दिवस
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	: 5.53 हे. न्यूनतम वनभूमि मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीयकरण के लिए आवश्यकता है।

	विवरण।	चौड़ीकरण/उन्नयनीयकरण के लिए आवश्यकता है।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	अनु.जाति-निरंक, अनु.जन जाति- निरंक
(i)	परिवारों की संख्या।	निरंक
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	: निरंक
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के परिवारों की संख्या)	: निरंक
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	: नहीं
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/ या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	: वचन पत्र संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्र/ दस्तावेजों का ब्यौरा।	: 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र
		: 2. प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण
		: 3. सर्वे आफ इंडिया की टोपोग्राफी 1:50000 स्केल पर (मूल प्रति)
		: 4. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र
		: 5. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।

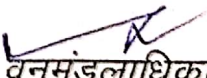
दिनांक :-

स्थान :-बालोद

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं. SP/CC/Road/24943/2017 Dt. 21.6.2017
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)


(एस.सी.आर्य)

परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद